A. **GENERAL INFORMATION**

SLNO.	INFORMATION	DETAILS
1	NAME OF THE SCHOOL	RALLI INTERNATIONAL SCHOOL
2	AFFILIATION NO.	2131275
3	SCHOOL CODE	60574
4	COMPLETE ADDRESS WITH PINCODE	NITI KHAND-III, INDIRAPURAM, GHAZIABAD- 201014
5	PRINICIPAL NAME & QUALIFICATION	NEHA RALLI MA LLB ,B.ED
6	SCHOOL EMAIL ID	RALLIINTERNATIONAL@GMAIL.COM
7	CONTACT DETAILS	0120-4901809/4901624 9310808549/9810855699

B. **DOCUMENTS AND INFORMATION**

SL.NO.	DOCUMENTS/INFORMATION	UPLOAD DOCUMENTS
1	COPIES OF AFFILIATION/UPGRADATION LETTER AND RECENT EXTENSION OF AFFILIATION,IF ANY	ANNEXURE I

2	COPIES OF SOCIETIES/TRUST/COMPANY REGISTRATION/RENEWAL CERTIFICATE AS APPLICABLE	ANNEXURE 2
3	COPY OF NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) ISSUED, IF APPLICABLE BY THE STATE GOVT./UT	ANNEXURE 3
4	COPIES OF RECOGNITION CERTIFICATE UNDER RTE ACT 2009 AND ITS RENEWAL IF APPLICABLE	ANNEXURE 4
5	COPY OF VALID BUILDING SAFETY CERTIFICATE AS PER THE NATIONAL BUILDING CODE	ANNEXURE 5
6	COPY OF VALID FIRE SAFETY CERTIFICATE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY	ANNEXURE 6
7	COPY OF THE DEO CERTIFICATE SUBMITTED BY THE SCHOOL FOR AFFILIATION/UPGRADATION/EXTENSION OF AFFILIATION OR SELF CERTIFICATION BY SCHOOL	ANNEXURE 7
8	COPIES OF VALID WATER ,HEALTH AND SANITATION CERTIFICATES	ANNEXURE 8

C. RESULTS AND ACADEMICS

S.NO.	DOCUMENTS/INFORMATION	UPLOAD DOCUMENTS
1	FEE STRUCTURE OF THE SCHOOL	ANNEXURE 9

2	LAST THREE-YEAR RESULT OF THE BOARD	MENTIONED BELOW
_	EXAMINATION AS PER APPLICABILITY	WENTIONED BELOW

RESULT CLASS X

YEAR	NO. OF REGISTERED STUDENTS	NO. OF STUDENTS PASSED
2020	143	143
2019	118	118
2018	73	73

RESULT CLASS XII

YEAR	NO. OF REGISTERED STUDENTS	NO. OF STUDENTS PASSED
2020	78	78
2019	60	60
2018	65	65

D. STAFF (TEACHING)

S.NO.	INFORMATION	DETAILS
1	PRINCIPAL	1
2	TOTAL NO. OF TEACHERS	90
	PGT	15
	TGT	34
	PRT	37
3	TEACHERS SECTION RATIO	1:1.8
4	DETAILS OF SPECIAL EDUCATOR	1
5	DETAILS OF COUNSELLOR AND WELNESS T	1

E. SCHOOL INFRASTRUCTURE

S.NO.	INFORMATION	DETAILS

1	TOTAL CAMPUS AREA OF THE SCHOOL (IN SQUARE MTR)	4738.25 SQM
2	NO. AND SIZE OF THE CLASS ROOMS (IN SQ FT MTR)	59 50 SQFTMTR
3	NO. AND SIZE OF THE LABORATORIES INCLUDING COMPUTER LABS (IN SQ MTR)	8 50 SQMTR
4	INTERNET FACILITY	Υ
5	NO. OF GIRLS TOILETS	39
6	NO. OF BOYS TOILETS	45



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड Central Board of Secondary Education संबंधता - Online School Affiliation & Monitoring System R-2.0



Contact Us

Contact 05

Grant Letter for-: EX-02373-2122

NO: CBSE/AFF/2131275 /EX-02373-2122/2021-22/ Dated: 01/10/2020

The Manager, Ralli international school NitiKhand III, Indirapuram UTTAR PRADESH,GHAZIABAD, 201014 (M: 01204901624)

Sub: Extension of General Affiliation up to Secondary/Senior Secondary Level - regarding Ref: Application No. EX-02373-2122

With reference to your application on the subject cited above; I am directed to convey the approval for Extension of General Affiliation as per details given below:-

Affiliation No: 2131275

Affiliated for: Senior Secondary

Category :Extension of General AffiliationPeriod of Extension of :01.04.2021 to 31.03.2026

In view of current COVID-19 pandemic which has most severely affected the normal functioning of schools in the country, however, the school is pursuing to provide extension of affiliation so as to avoid any difficulty for the purpose of admission /registration/ obtaining loan/renewal of various safety certificates from appropriate state authorities.

Therefore, the competent authority of the Board after due consideration has accorded approval for extension of Affiliation based on details/data submitted by school in online application for a further period of 5 years subject to fulfilment of following conditions:

- 1. The school will follow the RTE Act, 2009 and instructions issued thereon by the CBSE/Respective State /UT Govt. from time to time.
- The School is required to apply on online for further extension of affiliation along with the requisite fee and other documents as per Rule 10.3 of Affiliation Bye Laws, 2018.
- The school will also abide by the conditions prescribed, if any, by the State Government concerned as mentioned in certificate as per appendix III issued by District Education Officer (DEO) /equivalent officer
- The school should ensure the strong governance and management of its activities in way of comprehensive and quantifiable planning in way of curriculum planning, infrastructure, resources, physical education, staff development and other co-curricular areas.
- The school should go through the provision of **Affiliation and Examination Bye Laws and keep a copy there of** for reference purpose and also advised to visit CBSE websites i.e. http://cbseacademic.nic.in/ & http://cbse.nic.in/ for updates. The School is expected to see all circulars on these CBSE websites regularly.
- The school will strictly adhere to all rules regarding safety of students including Fire fighting and Transportation, etc. Further, school will provide adequate facilities for potable drinking water and clean healthy and hygienic toilets with washing facilities for boys and girls separately in proportion to the number of students. The school will ensure that Fire, Building, health and sanitation and safe drinking water certificates are renewed from time to time, as per norms.
- 7. **Admission to the school** is to be restricted as per relevant rules of Examination Bye-laws and rule 2.4.5, 2.6.5, 7.1, 7.2, 8.4.2, 8.4.10 & other relevant rules of Affiliation bye laws.
- 8. The school is required to follow rule No.2.4.7 and 2.4.8 of Affiliation Bye Laws regarding Books and Quality of Education.
- The number of sections may be restricted as per the Appendix V of the Affiliation Bye-Laws of the Board. For increase in number of sections, the School shall apply online to the Board as per rule 15.7 of Affiliation Bye laws.
- The school shall be solely responsible for any legal consequences arising out of the use of school name/logo/society/trust or any other identity related to running of school affiliated to CBSE. The school shall also be liable to bear all legal charges incurred by the Board, if any, arising out of these circumstances.
- The school must strive to promote conservation of environment on their campus through rain water harvesting, segregation of waste at source, recycling of organic waste, proper disposal of waste including electronic waste, use of energy saving and energy efficient electrical equipment, greening of campus, use of solar energy, education and awareness amongst children on environment conservation and cleanliness etc
- The school shall submit their information through Online Affiliated School Information System (OASIS) as per details given in circular no. affiliation-06/2018 dated 24.04.2018. Link for OASIS is available on Board's website:www.cbse.nic.in
- The optimum Section teacher ratio of 1:1.5 as well as student teacher ratio of 30:1 is to be maintained to teach various subjects and school shall appoint qualified and trained teaching staff on regular basis as per provisions of Affiliation Bye Laws of the Board.
- Every affiliated school shall sponsor regularly its bonafide and eligible students in Boards Class X and Class XII examinations from the year mentioned while granting affiliation/up-gradation regularly without break or inform with reasons thereof in writing well in time about the non-sponsoring of the candidates.
- Running of coaching institutions in the school premises in the pretext of providing coaching to the students for various examinations is not permitted by the Board. Strict action would be taken on defaulters.
- The Manger and the Principal of the school shall be jointly responsible for the authenticity of the online/offline documents/information/data submitted by the School to the Board.
- Apart from rules to be adhered to by the school as mentioned above for drawing specific attention of the school authorities, the school authorities are required to acquaint themselves with all the rules contained in Affiliation & Examination Bye-laws and circulars/guidelines/notification issued by the Board from time to time. Any laxity in following rules/instructions of the Board will lead to action against school as per clause 12 of Affiliation Bye-laws-2018.
- The genuineness of information / documents / data submitted shall be of school and in case, if found otherwise the school shall invite action as per affiliation Bye laws-2018
- The school shall be responsible for submission of any pending compliance, reply of show case /legal notice/ complaint and for submission of date/information sought by the Board. The extension of 05 years shall be from the date of cessation of previous validity of extension of affiliation
- 20. The school is required to remit pending fee, if any
- The extension of affiliation is being granted as one time measure. However, the cases where the Show Cause Notice was communicated or grievance / legal cases are pending against the school, the Board will take appropriate decision in this matter
- The school shall renew all mandatory safety certificate i.e Safe Drinking Water & Health and Hygiene certificate, Fire Safety Certificate and Building Safety Certificate from concerned Govt authorities time to time
- The school shall also maintain record of certificate, compliances, data and other records/information and shall be fully responsible to produce all such records before Board and appropriate Government Authorities when asked for, failing which necessary action shall be taken as per Affiliation-Bye-Laws of the Board. The school shall also be liable for action by the appropriate Govt., in case of violation / non-compliance of the concerned Govt. norms
- 24. The Board reserves the right to conduct inspection of school as per clause 11.2 and 11.4 of Affiliation Bye Laws.

Deputy Secretary/ Joint Secretary(Affiliation)

This is a computer-generated document. No signature is required.

संख्या 00489/2020-2021

दिनांक 10/08/2020



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या:R/GHA/03513 /2020-2021

पत्रावली संख्या:46813-M दिनांक:2005-2006

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि सर्वोदय शिशु शिक्षा समिति, रैली इन्टरनेशनल स्कूल, नीति खण्ड- थर्ड, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद, 201001 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 68 दिनांक-09/04/2005 को दिनांक-09/04/2020 से.पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है ।

1150 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक रूप से प्राप्त हो गयी है |



Digitally Signed By (DILEEP KUMAR GUPTA) DA019A515850A2830762C302E344A248F77ACFAB

Date: 10/08/2020 3:19:38 PM, Location: Meerut.

जारी करने का दिनांक-10/08/2020

सोसाइटी के रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजियाबाद।

प्रेष्य.

प्रबन्धक. रैली इण्टर नेशनल स्कूल नीति खण्ड-3 इन्दरापुरम्, गाजियाबाद। ८५५८ - ५ ८

दिनांकः 28 | 11 | 20 20

पत्रांक / शि०स० / विशय :- प्राइमरी स्तर (कक्षा 1 से 5) की अस्थायी मान्यता के सम्बन्ध में। महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 22.09.2020 के और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से रैली इण्टर नेशनल स्कूल नीति खण्ड-3 इन्दरापुरम्, गाजियाबाद को कक्षा-01 से कक्षा-05 तक हेतु दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक एक वर्ष की अवधि के लिए मान्यता समिति की बैठक विनांक 27.11.2020 की कार्यवाही में व्यक्त सहमति/अनुमोदन के आधार पर औपबंधिक मान्यता का प्रदान किया जाना सम्प्रेषित करता हैं:-

विद्यालय संचालित करने वाली संस्था सोसायटी/रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत व नवीनीकृत

- विद्यालय किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह अथवा एसोसियेशन को लाभ पहुँचाने के लिये संचालित नहीं किया जायेगा।
- मान्यता प्राप्त विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यकम या पाठ्यपुस्तकों से भिन्न पाठ्यकम में न तो शिक्षा दी जायेगी और न ही पाठ्यपुस्तकों का उपयोग किया जायेगा।

विद्यालय द्वारा राष्ट्रीय गीतों एवं राष्ट्रगान के गायन की व्यवस्था की जायेगी।

- विद्यालय का प्रवन्धतन्त्र यह सुनिश्चित करेगा कि समय समय पर निर्गत शासनादेशों, विभागीय आदेशों तथा मार्गदर्शी सिद्धातों का पालन करेगा।
- भारत के संविधान में प्राविधानित राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय ध्वज व सर्वधर्म सम्भाव व मानवीय मूल्यों की सम्प्राप्ति के लिये प्राविधानित नीतियाँ तथा समय समय पर निर्गत शासन के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- विद्यालय के भवनों तथा परिसरों को किसी भी दशा में व्यवसायिक एवं आवासीय उद्देश्यों के लिये दिन व रात में प्रयोग नहीं किया जायेगा परन्तु विद्यालय की सुरक्षा से सम्बन्धित कर्मियों के आवास हेतु छूट रहेगी।
- विद्यालय भवन परिसर अथवा मैदान को किसी राजनैतिक अथवा गैर शैक्षिक किया कलापों के प्रयोग में भी नहीं लिया जायेगा।

विद्यालय भवन के अग्रभाग पर विद्यालय का नाम, मान्यता का वर्ष, विद्यालय कोड, एवं मान्यता प्रदान करने वाली संस्था / निकाय का प्रतीक चिन्ह एवं नाम सुस्पष्ट रूप से अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

विद्यालय का किसी सरकारी अधिकारी अथवा स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा। खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उनसे उच्च स्तर के शिक्षा विभाग के अधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा।

11. बेसिक शिक्षा विभाग के जनपदीय / मण्डलीय / राज्य स्तरीय अधिकारी अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी विद्यालय से सूचना मॉर्ग जाने पर आवश्यक आख्या एवं सूचनायें निर्देशानुसार उपलब्ध करायी जायेगी तथा निर्देशों का पालन विद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

12. शिक्षा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी भाषा होगी तथा अंकों के अर्न्तराष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जायेगा तथा हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढाई जायेगी।

13. विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म,जाति के बच्चों को प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा।

14. दिव्यांग बच्चों की विद्यालय में सुगम पहुँच हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत अद्यतन शासनादेशों एवं मार्गदर्शी सिद्धातों का पूर्णतः अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

15. विद्यालय में अग्निशमन यंत्रों का समय समय पर नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।

16. मान्यता के पश्चात विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य वाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार न्यूनतम स्टाफ उपलब्ध होना चाहिये।

17. मान्यता प्राप्त प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालय के कार्मिकों का वेतन भुगतान प्रबन्धतन्त्र द्वारा अपने निजी

- 18 मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता वही होगी जैसा कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 (अद्यतन संशोधित) में निहित है। कार्मिकों का वेतन भुगतान प्रबन्धतन्त्र द्वारा अपने निजी स्त्रोत से किया जायेगा। उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जू०हा०स्कूल)(अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्ते) नियमावली 1978 (यथा संशोधित) के अनुसार होगी।
- 19. मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यकम तथा पाठ्यपुस्तकों का उपयोग किया जायेगा।
- 20. जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व अनुमित के बिना संस्था द्वारा कक्षा अथवा कोई अनुभाग न खोला जायेगा और न ही बन्द किया जायेगा, न समाप्त किया जायेगा और न ही स्थानान्तरित किया जायेगा। किसी भी विद्यालय को शाखा विद्यालय चलाने की अनुमित नहीं होगी।
- 21. विद्यालय बच्चों को निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 19 एवं अनुसूचित में विहित स्तर एवं मानकों को स्थापित रखेगा।
- 22. विद्यालय प्रवन्धतन्त्र द्वारा विद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्र—छात्राओं का कक्षावार एवं विषयवार अधिगम स्तर एस०सी०ई०आर०टी० द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार बनाये रखना अनिवार्य होगा।
- 23. मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं मंहगाई शुल्क मिलाकर उतना मासिक शुल्क स्वीकार किया जायेगा जो विद्यालय स्टाफ के वेतन, अनुरक्षण व्यय इससे सम्बन्धित अन्य व्यय के लिये पर्याप्त हो। इसके अतिरिक्त शिक्षण शुल्क तथा मंहगाई शुल्क से विद्यालय की वार्षिक आय में से वेतन भुगतान के पश्चात शुल्क आय के 20 प्रतिशत से अधिक बचत न हो। शिक्षण शुल्क में कोई बृद्धि तीन वर्ष तक नहीं की जायेगी। शुल्क में जब बृद्धि की जायेगी वह 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। विद्यालय द्वारा निम्नलिखित मदों में शुल्क लिया जा सकता है:—
 - शिक्षण शुल्क, मंहगाई शुल्क, विकास शुल्क, बिजली, पानी आदि, कीडा शुल्क, परीक्षा/मूल्यांकन शुल्क, विद्यालय समारोह/उत्सव शुल्क, विशेष विषयों की शिक्षा जैसे कम्प्यूटर, संगीत आदि। पंजीकरण शुल्क, भवन शुल्क तथा कैपीटेशन के रूप में कोई फीस विद्यार्थियों से लेना वर्जित होगा। विद्यालय प्रबन्धन द्वारा वार्षिक आय में वचत का उपयोग विद्यालय के विकास के लिये किया जायेगा।
- 24. विद्यालय प्रबन्धतन्त्र द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा—12—(1)(सी.) के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के उस कक्षा के बालकों की कुल संख्या के कम से कम 25 प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश देगा और निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की उसके पूरा होने तक व्यवस्था करेगा।
- 25. एक वर्ष के पश्चात मान्यता से सम्बन्धित नियमों / शर्तो का पुनः परीक्षण किया जायेगा और आरoटीoईo के अनुसार विद्यालय चलते रहने पर एक वर्ष के पश्चात विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान कर दी जायेगी।
- 26. जहाँ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति से प्राप्त प्रत्यावेदन के आधार पर लिखित रूप से अभिलिखित किये जाने हेतु यह विश्वास करने का कारण हो कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम 11 के अधीन मान्यता प्रदत्त किसी विद्यालय ने मान्यता की शर्तों में से एक या उससे अधिक शर्तों का उल्लंघन किया है अथवा अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों एवं मानकों को पूर्ण करने में विफल हो गया है तो नियमानुसार मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

विद्यालय के ट्रस्ट के विवाद का कोई आदेश किसी स्तर अथवा न्यायालय से विपरीत आदेश

पारित होता है तो यह मान्यता पारित होने वाले आदेश से प्रतिबन्धित होगी।

भवदीय,

(ब्रजभूषण चौधरी) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शूरुमाजियाबाद।

पृ०सं० / मान्यता / /2019–20 तद्दिनांक– प्रतिलिपि– निम्नाकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है– 1. खण्ड शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित क्षेत्र गाजियाबाद।

2. कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद। प्रेषक.

माध्यम- हिन्दी/अंग्रेजी

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजियाबाद।

प्रेष्य.

प्रबन्धक, रैली इण्टरनेशनल स्कूल, नीति खण्ड–03, इन्द्रापुरम्, गाजियाबाद।

पत्रांकः / शि०स० / मान्यता / ७०५५ - ८७

/2020-21

दिनांकः 0 6 11 20 2)

विषय: - जूनियर स्तर की अस्थायी मान्यता के सम्बन्ध में। महोदय/महोदया.

आपके आवेदन पत्र दिनांक 22.09.2020 एवं इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से रैली इण्टरनेशनल स्कूल नीति खण्ड—03, इन्दरापुरम्, गाजियाबाद को कक्षा—06 से कक्षा—08 तक हेतु दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक एक वर्ष की अवधि के लिए मान्यता समिति की बैठक दिनांक 02.01.2020 की कार्यवाही में व्यक्त सहमति/अनुमोदन के आधार पर औपबंधिक मान्यता का प्रदान किया जाना सम्प्रेषित करता हूँ:—

- विद्यालय संचालित करने वाली संस्था सोसायटी / रिजस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत व नवीनीकृत हो।
- 2. विद्यालय किसी भी व्यक्ति / व्यक्तियों के समूह अथवा एसोसियेशन को लाभ पहुँचाने के लिये संचालित नहीं किया जायेगा।
- 3. मान्यता प्राप्त विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकों से भिन्न पाठ्यक्रम में न तो शिक्षा दी जायेगी और न ही पाठ्यपुस्तकों का उपयोग किया जायेगा।
- 4. विद्यालय द्वारा राष्ट्रीय गीतों एवं राष्ट्रगान के गायन की व्यवस्था की जायेगी।
- 5. विद्यालय का प्रबन्धतन्त्र यह सुनिश्चित करेगा कि समय समय पर निर्गत शासनादेशों, विभागीय आदेशों तथा मार्गदर्शी सिद्धातों का पालन करेगा।
- 3. भारत के संविधान में प्राविधानित राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय ध्वज व सर्वधर्म सम्भाव व मानवीय मूल्यों की सम्प्राप्ति के लिये प्राविधानित नीतियाँ तथा समय समय पर निर्गत शासन के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 7. विद्यालय के भवनों तथा परिसरों को किसी भी दशा में व्यवसायिक एवं आवासीय उद्देश्यों के लिये दिन व रात में प्रयोग नहीं किया जायेगा परन्तु विद्यालय की सुरक्षा से सम्बन्धित कर्मियों के आवास हेतु छूट रहेगी।
- 8. विद्यालय भवन परिसर अथवा मैदान को किसी राजनैतिक अथवा गैर शैक्षिक किया कलापों के प्रयोग में भी नहीं लिया जायेगा।
- 9. विद्यालय भवन के अग्रभाग पर विद्यालय का नाम, मान्यता का वर्ष, विद्यालय कोड, एवं मान्यता प्रदान करने वाली संस्था / निकाय का प्रतीक चिन्ह एवं नाम सुस्पष्ट रूप से अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
- 10. विद्यालय का किसी सरकारी अधिकारी अथवा स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा। खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उनसे उच्च स्तर के शिक्षा विभाग के अधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा।
- 11. बेसिक शिक्षा विभाग के जनपदीय / मण्डलीय / राज्य स्तरीय अधिकारी अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी विद्यालय से सूचना माँगे जाने पर आवश्यक आख्या एवं सूचनायें निर्देशानुसार उपलब्ध करायी जायेगी तथा निर्देशों का पालन विद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 12. शिक्षा का माध्यम हिन्दी / अंग्रेजी भाषा होगी तथा अंकों के अर्न्तराष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जायेगा तथा हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढाई जायेगी।
- 13. विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म, जाति के बच्चों को प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा।
- 14. दिव्यांग बच्चों की विद्यालय में सुगम पहुँच हेतु भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत अद्यतन शासनादेशों एवं मार्गदर्शी सिद्धातों का पूर्णतः अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 15. विद्यालय में अग्निशमन यंत्रों का समय समय पर नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- मान्यता के पश्चात विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार न्यूनतम स्टाफ उपलब्ध होना चाहिये।

- 17. मान्यता प्राप्त प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालय के कार्मिकों का वेतन भूगतान प्रबन्धतन्त्र द्वारा अपने निजी स्त्रोत से किया जायेगा।
- मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता वही होगी जैसा कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 (अद्यतन संशोधित) में निहित है। कार्मिकों का वेतन भुगतान प्रबन्धतन्त्र द्वारा अपने निजी स्त्रोत से किया जायेगा। उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जू०हा०स्कूल) (अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्ते) नियमावली 1978 (यथा संशोधित) के अनुसार होगी।

19. मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यकम तथा पाठ्यपुस्तकों

का उपयोग किया जायेगा।

20. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना संस्था द्वारा कक्षा अथवा कोई अनुभाग न खोला जायेगा और न ही बन्द किया जायेगा, न समाप्त किया जायेगा और न ही स्थानान्तरित किया जायेगा। किसी भी विद्यालय को शाखा विद्यालय चलाने की अनमति नहीं होगी।

21. विद्यालय बच्चों को निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 19 एवं अनुसूचित में

विहित स्तर एवं मानकों को स्थापित रखेगा।

22. विद्यालय प्रबन्धतन्त्र द्वारा विद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं का कक्षावार एवं विषयवार अधिगम

स्तर एस०सी०ई०आर०टी० द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार बनाये रखना अनिवार्य होगा।

23. मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं मंहगाई शुल्क मिलाकर उतना मासिक शुल्क स्वीकार किया जायेगा जो विद्यालय स्टाफ के वेतन, अनुरक्षण व्यय इससे सम्बन्धित अन्य व्यय के लिये पर्याप्त हो। इसके अतिरिक्त शिक्षण शुल्क तथा मंहगाई शुल्क से विद्यालय की वार्षिक आय में से वेतन भगतान के पश्चात शुल्क आय के 20 प्रतिशत से अधिक बचत न हो। शिक्षण शुल्क में कोई बुद्धि तीन वर्ष तक नहीं की जायेगी। शुल्क में जब बृद्धि की जायेगी वह 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। विद्यालय द्वारा निम्नलिखित मदों में शुल्क लिया जा सकता है:-

शिक्षण शुल्क, मंहगाई शुल्क, विकास शुल्क, बिजली, पानी आदि, कीडा शुल्क, परीक्षा / मूल्यांकन शुल्क, विद्यालय समारोह / उत्सव शुल्क, विशेष विषयों की शिक्षा जैसे कम्प्यूटर, संगीत आदि। पंजीकरण शुल्क, भवन शुल्क तथा कैपीटेशन के रूप में कोई फीस विद्यार्थियों से लेना वर्जित होगा। विद्यालय प्रबन्धन द्वारा

वार्षिक आय में बचत का उपयोग विद्यालय के विकास के लिये किया जायेगा।

24. एक वर्ष के पश्चात मान्यता से सम्बन्धित नियमों / शर्ती का पूनः परीक्षण किया जायेगा और आर०टी०ई० के अनुसार विद्यालय चलते रहने पर एक वर्ष के पश्चात विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान कर दी जायेगी।

25. जहाँ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति से प्राप्त प्रत्यावेदन के आधार पर लिखित रूप से अभिलिखित किये जाने हेतु यह विश्वास करने का कारण हो कि नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम 11 के अधीन मान्यता प्रदत्त किसी विद्यालय ने मान्यता की शर्तों में से एक या उससे अधिक शर्तों का उल्लंघन किया है अथवा अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों एव मानकों को पूर्ण करने में विफल हो गया है तो नियमानुसार मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

> (ब्रजभूषण चौधरी) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वस्राजियाबाद।

भवदीय.

पु०सं० / मान्यता / / 2020-21 तददिनांक-प्रतिलिपि-निम्नाकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित है-1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक मेरठ, मण्डल मेरठ।

2. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, गाजियाबाद।

3. कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–2,लो०नि०वि०,गाजियाबाद।

पत्रांक 1361 /13 F

दिनांक:- 25/6/2020

सेवा में.

मैनेजर रेली इन्टरनेशनल स्कूल नीति खण्ड–3, इन्दिरापुरम जनपद–गाजियाबाद

विषय:- विद्यालय भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

संदर्भ :- आपका पत्रांक शून्य दिनांक 11.06.2020

लोक निर्माण विभाग द्वारा रेली इन्टरनेशनल स्कूल, नीति खण्ड—3, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद का निरीक्षण किया गया। विद्यालय तीन मंजिला बना हुआ है। विद्यालय गुणवत्ता की प्रथम दृष्टि से काफी हद तक ठीक व मजबूत है।

अतः विद्यालय को भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड—2, लो०नि०वि० प्राचिमासीयाब्राद

विमाल कन्ड लाजन विक दिनांक: गाजवाबाव

पत्रांक

प्रतिलिपि मुख्य विकास अधिकारी, गाजियाबाद को उनके पत्रांक शून्य दिनांक 15.06.2020 के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

> अधिशासी अभियन्तां निर्माण खण्ड—2, लो०नि०वि० गाजियाबाद -प्राचनासी भ्राभियन्तर

विमान चन्ड लान्तिक

利11円円1円間

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि स्रक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

युआईडी संख्या: UPFS/2020/21566/GZB/GHAZIABAD/1561/CFO

दिनांक: 24-08-2020

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स RALLI INTERNATIONAL SCHOOL (अवन/प्रतिष्ठान का नाम)पता Ralli International school Niti Khand-3 Indirapura,GHAZIABAD,GHAZIABAD तहसील - GHAZIABAD, प्लाट एरिया 4738.25 sq.mt ,

कुल कवर्ड एरिया 4,417.90 (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - 1 जिसमें

निर्गत किये जाने का दिनांक : 29-08-2020

स्थान : GHAZIABAD

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	उँचा ई
EDUCATIONAL	4	1	13.95 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स RALLI INTERNATIONAL SCHOOL दवारा किया जा रहा है। इनके दवारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक 27-08-2020 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री SIDDARTH RALLI के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायौ गयौ। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिओग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 29-08-2020 से 29-08-2023 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स RALLI INTERNATIONAL SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स RALLI INTERNATIONAL SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

"यह प्रमाण-पत्र आपके दवारा प्रस्तुत असिलेखाँ , ज्ञूपनाओं के आधार पर निर्मत किया जा रहा है । इनके असत्य पाप जाने पर मिर्मत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा ।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)

Digitally Signed By (SUNIL KUMAR SINGH)

[0413854550B7A3F51D5ACB26194051C1EABA41A4]

29-08-2020

FORMAT OF CERTIFICATE TO BE ISSUED BY THE DISTRICT EDUCATION OFFICER IN RESPECT OF SCHOOLS ALREADY AFFILIATED WITH THE BOARD AND SEEKING EXTENSION/UPGRADATION OF AFFILIATION WITH THE CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(In accordance with School Safety Policy, 2016 issued by the NDMA, Manual on Safety and Security of Children in Schools developed by NCPCR and the National Building Code)

PART-A

(This part is to be filled-up by the school and to be produced before the District Education Officer along with all supporting documents and certificates in original)

1	Affiliation Number allotted by CBSE to the school:	2131275
2	Name of the School as per affiliation letter of CBSE:	RALLI INTERNATIONAL SCHOOL
3	Address of the School:	NITIKHAND III, INDIRAPURAM, GHAZIABAD
4	Standard/level/class up to which the school is running:	CLASS I TO CLASS XI
5	Is the name and address of school in CBSE affiliation letter and State NOC/Recognition/U-DISE same exactly the same	YES
6	U-DISE code allotted to the school:	09090907903
7	Name and address of the Trust/Society/ Company(under section-8) running the School as on date	SHIKSHA SAMITI
8	Is the Trust/Society/ Company duly registered with the competent registering authority and the registration is valid as on date?	YES
9	Purpose of present application:	EXTENSION
10	Location of school	 In the municipal limits of city having population more than 15 Lakhs

PRINCIPAL
RALLI INTERNATIONAL SCHOOL
(Signature of Principal dirapuram
Ghaziabad-201010

जिला विद्यालय निरीक्षक (Signature of D.E.O.)

10	Has the school obtained Recognition Certificate from the State Government from class-1 to 8 th ?	Applied for /NOC from Meerut		
11	Number of Recognition Certificate from class-1 to 8 th and date of issue:			
12	Is the School affiliated to any other board besides CBSE for Class-X or XII examinations?	NO		
INFOR	MATION REGARDING LAND DETAILS AND OWNERSHIP			
13	Is the school situated on a single contiguous plot of land bounded on all sides by a Pucca Boundary Wall?	YES		
14	Are both the School and the Play Ground situated in a single compound bounded by a single continuous Boundary Wall on all sides?	YES		
15	Total area (in square meters) in respect of 13 and 14 above on which the school is situated:	4738.25 SQ. MTRS		
16	The land is in the possession of the school/ Trust/Society/Company legally by way of:	LEASE DEED		
17	Name of the Owner/Lessee of the land in respect of point-16 above:	SARVODAYA SHISHU SHIKSHA SAMITI		
18	In case the land is in the possession of the society/school by way of lease as per State Government norms, the period of the lease:	FROM 2005 TO 2095, 90 YEARS		
19	Is any public road, canal or thorough-fare, HT line etc. passing through the land in respect of point-15 above?	<u>NO</u>		
INFOR	MATION REGARDING ESSENTIAL SAFETY REQUIREMENTS			
20	Has the school been inspected by the Government engineer and the school building been found structurally safe for running a school?	YES		
20(a)	If yes the date of last inspection:	25.06-2020		
21	Has the school been inspected by the officer of Government Fire Department and the school building been declared safe for school from the point of view of fire safety?	YES		
21(a)	If yes the date of last inspection:			
22	Has the school compound been checked by the public health department and the health and sanitary conditions been found to be satisfactory and the water has been found safe for drinking?	YES		

PRINCIPAL

RALLI INTERNATIONAL SCHOOL

Nisighand III pindicapuram

Chaziabad 201010

जिला विद्यालय निरीक्षक शाजियाबाद (Signature of D.E.O.)

22(a)	If yes the date of last inspection:	06.06.2020			
INFOR	MATION REGARDING THE STAFF				
23	Does the school have well defined service rules and conditions for its employees as per prevalent norms of appropriate Government?	YES			
24	Is the school paying salary to the teachers and other employees as per the norms of the appropriate Government?	YES			
25	Is the salary to the teachers and other employees of the school being paid through the bank by mode of electronic clearing? (Payment by cheque or cash to the individuals is not allowed)	YES, THROUGH BANK OF MAHARASHTRA, PREET VIHAR DELHI BRANCH			
26	Is the school paying EPF to the teachers and other employees as per the norms of the appropriate Government?				
(Thi	CHAIRMAN/MANAGER Nitikhand-	NCIPAL ATIONAL SCHOOL III, Indirapuram bad-201010 porting documents and			
	File No Date of Issuance	27/06/20			
1	This is to certify that the information above, provided by the school has been verified on the basis of all supporting documents & certificates and visiting the school and the information has been found correct.				
2	Is the school recommended for extension/upgradation of affiliation?	extension (seminate of			
	(Name an DISTRICT EDUCATION OFFI	Signature d Stamp of Issuing DEO)			

PRINCIPAL
RALLI INTERNATIONAL SCHOOL
Nitikhand-III, Indirapuram
(Signatura of Bringipal) 10

🕑 गाजियाबाद

जिला विद्यालया निरीक्षक स्थाजियाबाद

(Signature of D.E.O.)

Office Of The Chief Medical Officer, Ghaziabad

Ref. No. DMO.IDSP/2020/ 61)

Dated 15.06.2020

Safe Drinking Water, Health & Hygiene Certificate

It is certified a that a combined inspection team headed by Mr. Narendra kumar from CMO office, Ghaziabad and Nagar Nigam Ghaziabad inspected the premises of Ralli International School, Niti Khand-III, Indrapuram Ghaziabad (UP) 201014 on 06.06.2020 and found that Ralli International School, has safe Drinking water Facilities for the students and staff members of the said institution and is maintaining hygienic sanitation conditions in the school, in the campus as per the norms.

(G.K.Mishra)

(G.K.Mishra)
District Malaria Officer
Ghaziabad

G.K. Mishra District Malaria Officer Ghaziabad

To Ralli International School Niti Khand-III, Indrapuram Ghaziabad (U.P) 201014



RALLI INTERNATIONAL SCHOOL

Senior Secondary Affiliated to CBSE, New Delhi

Niti Khand-III, Indirapuram, Ghaziabad (U.P.)-201010 CBSE Affiliation No. 2131275 School Code: 60574

FEE STRUCTURE FOR THE SESSION 2021-2022 (AS PER U.P SELF FINANCED INDEPENDENT SCHOOLS ORDINANCE 2018) FOR CLASS I TO XII

For Existing Students Session (2021-2022)

	COMPOSITE ANNUAL FEES	FEES TO BE PAID QUARTERLY	MONTHLY FEES
CLASS I	52,800	13,200	4400
CLASS II	52,800	13,200	4400
CLASS III	48,600	12,150	4050
CLASS IV-VI	49,800	12,450	4150
CLASS VII-VIII	51,120	12,780	4260
CLASS IX-X	53,520	13,380	4460
CLASS XI –XII (HUMANITIES)	60,960	15,240	5080
CLASS XI –XII (COMMERCE)	60,960	15,240	5080
CLASS XI –XII (SCIENCE)	69,960	17,490	5830

Optional Fee Component

Transport Charges (Payable for 11 months)

Rs. 1300/- to 2500/-